(प्रपत्र–13(b)

Justification of Land

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेगें। इस मोटर मार्ग से 800 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगें एंव इससे देश की उत्पादकता में बढोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढेगी। इस मोटर के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होगें जिससे स्थानीय निवासियों एंव सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एंव सडक न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती–बाडी के कामों में लग जाते है। लेकिन मोटर मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सके एंव शिक्षा के स्तर में बढोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगें एंव यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख–रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम रंगेऊ जिनकी जनसख्या को जोडा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से पिछडे गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तण की आवश्यकता होगी।

अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
Kalsi

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड रेंज

रेंज अधिकारी
रिखनाड रेंज
चकराता वन प्रभाग

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
उप–प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग